पत्रांक–04 / सं0–06 / 2026– 1043

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

तृतीय तल, योजना भवन नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची–834002

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका। दिनांक - 20/05/2026

विषय :– बी0एड0 महाविद्यालयों को बी0एड0 / एम0एड0 पाठ्यक्रम में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अद्यतन परिनियम मे वर्णित प्रावधान के आलोक मे सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अंतर्गत संचालित अस्थायी संबद्धता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों को बी०एड०/एम०एड० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण निम्न शर्त्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :–

सिदो–कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका				
क्र0	महाविद्यालय का नाम	शैक्षणिक सत्र	पाठ्यक्रम	अभ्युक्ति
01	मोरिजावाला बी0एड0 कॉलेज, देवघर	2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030	बी0एड0	स्वीकृत।
02	चाणक्या टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, मधुपुर	2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030	बी0एड0	स्वीकृत।
03	जसीडीह बी0एड0 कॉलेज, जसीडीह	2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030	बी0एड0	स्वीकृत।
04	मधुस्थली इन्सच्युट ऑफ ट्रीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मधुपुर	2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030	बी0एड0	स्वीकृत।
05	राहत कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मधुपुर	2026–2028, 2027–2029 एवं 2028–2030	बी0एड0	स्वीकृत।

शर्त्तें :–

i. विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन मे दिये गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा समय सीमा के अंदर किया जाएगा।

ii. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा लगाए गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

iii. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम मे वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

iv. जिन महाविद्यालयों को NAAC द्वारा Accreditation प्राप्त नहीं है, उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन दीर्घीकरण की अधिसूचना जारी होने के 06 महीने के अंदर NAAC Portal पर IIQA submit करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

कृ0पृ0उ0

उक्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति मे विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के संबंधन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

v. विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन०सी०टी०ई० राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

vi. विश्वविद्यालय द्वारा जिन प्रस्तावों को Syndicate के अनुमोदन की प्रत्याशा मे प्रेषित किया गया है, उनसे संबन्धित अधिसूचना के पूर्व Syndicate का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

20.5.26

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा